<u>रजिस्टर्ड ए0 डी0</u>

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई–मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

सं0ः–राज / नागौर –20 / चूनापत्थर–06

दिनांक. 2/12/2015

प्रेषित मै जे. के. व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स
(जे.के.सीमेन्ट की इकाई)
पोस्ट– गोटन 342902
जिला. नागौर (राजस्थान)

विषयः राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी धनप्पा चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 400.0 हैक्टेयर (3/93) **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (**संशोधित एमसीडीआर 2011**) के प्रावधानो का उल्लंघन

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 30.11.2015 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

<u>नियम</u>	<u>उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा</u>
13(1)	अनुमोदित खनन योजना के पैरा 4.2 के अनुसार खनिज, एवं ओवरबर्डन मे अलग अलग बेन्च बनाकर तथा अधिभार की बेन्चों को आगे बढ़ाकर कार्य करना प्रस्तावित था लेकिन निरिक्षण के दौरान पाया गया कि पिट संख्या 1 एवं 2 में अधिभार की बेन्चों को आगे नहीं बढ़ाया गया है।
27(4)	इन नियमों के अधीन बनाए गये सभी प्लान और सेक्शन को प्रतिवर्ष अद्यतन (अप–टू–डेट) कराकर नहीं रखे गये हैं। खननपटटा स्वीकृति एंव खननकार्य प्रारम्भ करने के बाद कार्यक्षेत्र में विचलन आ गया है, जिसके लिये पुनः सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे सही तरीके से कराना जरुरी ळें
29	नियम 28 के तहत बनाए गए सभी प्लान एवं सेक्शंन प्रत्येक वर्ष 30 जून तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक (अजमेर) को अद्यतन (अप–टू–डेट) करके प्रस्तुत किए जाने थे, लेकिन वर्ष 2015 के लिये अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2) खनि अभियन्ता, ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोटन को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच सी शर्मा)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो